(वाद सं0.-3208/2018)

23.06.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, मो0 रफी अहमद, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, रेफरल अस्पताल, बाँसी, बाँका, को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, बाँसी, बाँका द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा से मुक्त किये किये जाने के सरकारी नियम के बाद भी उसके वेतन से कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण न होने के आधार पर कटौती किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अ**सैनिक शल्य चिकित्सक सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के वेतन से कटौती की गई राशि का भुगतान माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में किया जा चुका है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। उनकी ओर से प्रसंगाधीन परिवाद में उल्लेखित शिकायत का संतोषजनक समाधान हो जाने के आधार पर परिवादी अपने परिवाद को वापस लेने का अनुरोध राज्य आयोग से किया गया है।

अतः परिवादी के अनुरोध–पत्र को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामला को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक